अनुबन्ध - 2

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है । वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:–

(करोड़ रुपए)

	बजट अनुमान 2001-2002	संशोधित अनुमान 2001-2002	बजट अनुमान 2002-2003
क. ऋण*	**11463.10**	**11297.50**	**11333.82**
ख. नकद अनुदान	**656.76**	**790.93**	**824.36**
ग. वस्तु अनुदान सहायता	**41.06**	**35.07**	**34.73**
(i) खाद्य	...	...	...
(ii) अन्य	41.06	35.07	34.73
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**12160.92**	**12123.50**	**12192.91**
ङ वापसी-अदायगी			
(i) ऋण	9598.25	9243.36	10563.46
(ii) न्यास निधि	...	...	...
(iii) विशेष ऋण	...	...	...
च. जोड़	**9598.25**	**9243.36**	**10563.46**
छ. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगियां घटाकर)	**2562.67**	**2880.14**	**1629.45**
ज. ब्याज अदायगियां			
(i) ऋण	4458.34	4317.15	4319.79
(ii) न्यास निधि उधार	...	...	...
(iii) विशेष ऋण	...	...	...
झ. जोड़	**4458.34**	**4317.15**	**4319.79**
ञ. विदेशी सहायता			
(वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर)	-1895.67	-1437.01	-2690.34
** इसमें परक्रामी निधि के अंतर्गत प्राप्तियां शामिल हैं।*	699.75	100.00	150.00

दो विवरण अर्थात विवरण 1 जिसमें विदेशी ऋणों की प्राप्तियां और वापसी-अदायगियां दिखाई गई हैं तथा विवरण 2 जिसमें अनुदान तथा वस्तु सहायता का ब्यौरा दिया गया है, इस अनुबंध के साथ संलग्न है।

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

I. भारत को आस्ट्रेलियाई विकास सहायता

अक्तूबर, 1990 में आस्ट्रेलिया सरकार के साथ द्विपक्षीय सहयोग संबंधी दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये थे : (i) विकास सहयोग संबंधी करार तथा (ii) लघु कार्यकलाप प्रणाली संबंधी समझौता ज्ञापन। भारत को आस्ट्रेलियाई सहायता उपरोक्त करारों के तत्वावधान के अंतर्गत दी गई है।

2. भारत के लिए समुद्रपारीय विकास सहायता व्यय (पिछले वर्षों के लिए) का विवरण तथा दृष्टिकोण (चालू वर्ष) निम्नानुसार है:

(मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर)

वर्ष	संवितरण राशि
1993-94	15.8
1994-95	20.4
1995-96	24.6
1996-97	21.7
1997-98	20.2
1998-99	19.2
1999-2000	18.7
2000-2001	19.3
2001-2002	19.2

3. यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों, जिनमें आस्ट्रेलिया के पास विशेषज्ञता तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी प्रौद्योगिकी है, में पारस्परिक लाभदायक आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए हमारी प्राथमिकता प्राप्त विकास आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारत की सहायता के लिए अभिकल्पित है। चालू विकास सहयोग परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	*(राशि मिलि. आस्ट्रेलियाई डालर में)*
1.	रेलवे प्रौद्योगिकी परियोजना	5.455
2.	यूनीसेफ के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा संवृद्धि परियोजना	10.400
3.	खान सुरक्षा महानिदेशालय	2.600
4.	बंगलौर जलापूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता मास्टर प्लान परियोजना	7.524
5.	भारत आस्ट्रेलिया प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण परियोजना	15.000

II. बेल्जियम

बेल्जियम 1962-63 से वित्तीय सहायता प्रदान करता आ रहा है। तथापि, कई वर्षों से समय के साथ-साथ सहायता की मात्रा कुछ कम होती गई है।

2. 250 मिलियन बेल्जियाई फ्रांक के लिए बेल्जियाई सरकार के साथ बीसवें सरकार से सरकार के ऋण करार पर 30.3.1993 को हस्ताक्षर किए गए।

III. कनाडा

कनाडा भारत को 1951 से सहायता प्रदान कर रहा है। कनाडियन विकास सहायता कनाडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सिडा) के माध्यम से दी जाती है। 31 मार्च 1986 तक कनाडियन सहायता ऋण और अनुदान के रूप में थी। 1 अप्रैल, 1986 से सिडा सहायता पूर्णतया अनुदान के रूप में है।

2. भारत के लिए "सिडा" के देशीय नीति कार्यक्रम के तीन मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैः-

(i) भारत में आर्थिक और सामाजिक नीति सुधारों का संवर्द्धन करना।

(ii) पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ विकास का संवर्द्धन करने के लिए भारत की क्षमता में अंशदान करना।

(iii) भारत और कनाडा के निजी क्षेत्रों के बीच सुदृढ़ आर्थिक संबंधों के निर्माण में सहायता करना।

सिडा की सहायता से चलाई जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्निलिखित हैः

वृक्ष उत्पादक सहकारी परियोजना, भारत कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना, राजस्व प्रशासन क्षमता विकास परियोजना, ऊर्जा आधारभूत सेवा परियोजना, संस्थागत उद्योग सम्पर्क परियोजना और पर्यावरण सुदृढीकरण परियोजना। इन परियोजनाओं में तकनीकी सहायता शामिल है और निधियां बजट के जरिए नहीं दी जाती हैं।

इस समय सहायता की एक अल्प राशि बजट के जरिए दी जाती है।

IV. डेनमार्क

डेनिश सहायता मुख्य रूप से विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित और स्थानीय लागत परियोजनाओं के लिए भी उपलब्ध अनुदानों के रूप में है। यह परियोजनाएं मुख्यतः उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में गरीबी उन्मूलन के लिए हैं। तकनीकी सहायता भी अनुदानों के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, अनुदान सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (पीएसडी) भी डेनिश और भारतीय व्यापार उद्यमों के बीच दीर्धावधिक सहयोग का समर्थन करने के लिए प्रचालनाधीन है।

2. भारत 1963 से डेनिश सहायता प्राप्त करता रहा है। 31.12.2001 तक डेनमार्क ने कुल 5273.14 मिलियन डेनिश क्रोनर की राशि देने का वचन दिया है जिसमें ऋण और अनुदान शामिल हैं।

3. वर्ष 2001-02 (1.4.2001 से 31.12.2001 तक) के दौरान डेनमार्क सरकार के साथ कोई नया करार हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। तथापि, कृषि में एम पी महिला (एम ए पी डब्ल्यू ए) नामक एक नए करार, चरण II पर इस समय विचार किया जा रहा है जिसमे नए सिरे से 17.49 मिलियन डेनिश क्रोनर (8.74 करोड़ रुपए) की वचनबद्धता की गई है। इस करार पर इस वित्तीय वर्ष में हस्ताक्षर होने की आशा है।

4. वर्ष 2001-2002 के लिए 22.25 करोड़ रुपए के अनुमानित प्राप्ति बजट से नवम्बर 2001 तक डेनमार्क सरकार से वचनबद्ध सहायता में से संवितरण के जरिए भारत सरकार के खाते में 25.96 करोड़ रुपए की रकम प्राप्त की गई है।

V. जर्मन संघीय गणराज्य

जर्मनी विश्व में भारत का एक सबसे बड़ा दाता है। जर्मनी भारत को वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जर्मनी ने वर्ष 2001 के दौरान नई वचनबद्धताओं और पूर्ण-वचनबद्धताओं की पुनः योजना करने के जरिए वित्तीय सहायता के तौर पर 628.8 मिलियन (81.4 डी एम अनुदान के रूप में, 130 मिलियन डी एम सुलभ ऋण और 417.4 मिलियन वाणिज्यिक ऋण के रूप में) तथा तकनीकी सहायता के तौर पर 35.5 मिलियन डीएम (अनुदान) राशि की वचनबद्धता की है।

2. दिसम्बर, 2000 से दिसम्बर, 2001 के दौरान 369 मिलियन डी एम के लिए करार हस्ताक्षरित किए गए जिसमें 35.1 मिलियन डी एम अनुदान के रूप में 200.7 डी.एम. उदार ऋण के रूप में और 133.2 मिलियन डी एम वाणिज्यिक ऋण के रूप में हैं।

3. वर्ष 2001-02 के दौरान (नवम्बर, 2001 तक) संवितरण की कुल राशि 192.106 मिलियम डी एम (टी सी को छोड़कर) है। संवितरण की राशि में स्वतंत्र परियोजनाएं शामिल हैं।

VI. फ्रांस

फ्रांस सरकार भारत को 1968 से आर्थिक सहायता दे रही है। फ्रांसीसी सहायता फ्रांसीसी सामान एवं सेवाओं के आयात के लिए है। अनुदान सहायता कुछेक कम मूल्य वाली तकनीकी सहयोग परियोजनाओं के लिए सीमित है। फ्रांसीसी सहायता मुख्यतः उदार शर्तों पर राजकोषीय ऋण सहित मिश्रित ऋण और निर्यात ऋण के रूप में ओ.ई.सी.डी की ब्याज की रियायती दरों पर है। मिश्रित ऋण के रूप में फ्रांसीसी सहायता का उपयोग विद्युत,कोयला, रेलवे, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और खनन, कृषि, स्वास्थ्य, जलापूर्ति आदि के लिए किया गया है।

2. अप्रैल, 1968 से मार्च 2001 तक कुल वचनबद्ध फ्रांसीसी सहायता 15443.86 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक बैठती है।

3. चालू वर्ष 2001-02 के दौरान 9.65 मिलियन यूरो की कुल राशि के लिए 4.12.2001 को दो भारत-फ्रांस प्रोटोकोल हस्ताक्षरित किए गए हैं।

4. जहां तक संवितरण का संबंध है, वर्ष 2001-02 के दौरान दी गई 103.744 फ्रांसीसी फ्रांक (64.985 करोड़ रु.) की धनराशि का उपयोग किया गया। चालू वित्तीय वर्ष (2001-02) में नवम्बर, 2001 तक 29.127 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक (18.387 करोड़ रु.) की राशि संवितरित की गई है।

VII. इटली

इटली से प्राप्त सहायता विशेष योजनाओं के लिए है तथा यह सामान्यतः इतालवी वस्तुओं और सेवाओं के वित्तपोषण से संबद्ध है।

2. जून, 1996 की भारत-इतावली सहयोग बैठक के दौरान, इतावली पक्ष ने 100 बिलियन लीरा की समग्र राशि के एक उदार शर्त वाले ऋण की वचनबद्धता की है जिसमें से 50 बिलियन लीरा पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्तियों को वित्तपोषित करने के लिए एक खुली ऋण श्रृंखला स्थापित करने तथा भारतीय छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए सम्बन्धित तकनीकी सहायता स्थापित करने के प्रति समर्पित होंगे। 21.3.2000 को इस ऋण श्रृंखला के लिए एन एस आई सी द्वारा 10 बिलियन लीरा की पहली किश्त के लिए वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ऋण श्रृंखला 17.7.2000 से प्रचालन में है और 16.7.2001 तक वैध थी। बाकी राशि निम्नलिखित क्षेत्रों में वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त की जाएगी (क) जल-शोधन (ख) सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के साथ पर्यावरणीय संरक्षण और बुनियादी ढांचा; और (ग) मध्यम उद्यम विकास। उदार शर्त वाला ऋण अत्यधिक रियायती (80 प्रतिशत अनुदान तत्व) होगा।

3. वर्ष 1981 में समाप्त हुए सामान्य सहयोग करार के तहत इटली सहबद्ध आधार पर तकनीकी सहायता अनुदान उपलब्ध कराने पर भी सहमत हो गया है। वर्ष 1999 में इटली ने भारत को ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत बाल और मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए बाल श्रम

के उन्मूलन और अक्षम लोगों के लिए स्थानीय केन्द्र स्थापित करने के लिए सहयोग परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए 15.4 बिलियन लीरा का अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव किया था। दिसम्बर, 1999 में इटालियन दूतावास ने सूचित किया कि इटली के विदेश मंत्रालय ने गरीबी उन्मूलन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अंशदान के रूप में 20 बिलियन लीरा जो कि 10.5 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष है, की राशि के अनुदान का आवंटन किया है।

VIII. जापान

जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सहायता दाता है। जारी परियोजनाओं के लिए 2002-2003 के दौरान सम्भावित संवितरण निम्नानुसार होगाः

जे बी आई सी (पूर्व ओ ई सी एफ)	केन्द्रीय सहायता 2165.19 करोड़ रुपए
	राज्य सहायता 2393.95 करोड़ रुपए
अनुदान-सहायता	35 करोड़ रुपए

2. जापान सामान्यतया वार्षिक आधार पर लगभग 3-4 बिलियन रुपए का सहायता अनुदान भी देता है। जापानी ऋण राहत अनुदान सहायता के तहत वैयक्तिक आयात हो रहे हैं। चालू आयातों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैंः

संगठन	*राशि (करोड़ रु.)*
ई पी टी आर आई	2.48
एन ई ई पी सी ओ	0.40
क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, तिरूवनंतपुरम	5.00
इन्द्रप्रस्थ कालेज, दिल्ली	2.00
कारनीर तालूका के लिए महाराष्ट्र सरकार	2.10
31.10.2001 तक पहले ही संवितरित	22.94
जोड़	**34.92**

IX. अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि

अरब आर्थिक विकास कुवैत निधि से भारत को 1976 से आर्थिक सहायता मिल रही है। अब तक निधि से कुल 92.300 मिलियन कुवैती दीनार के कुल मूल्य के आठ ऋण प्राप्त हुए हैं। 31 मार्च 2000 तक ऋणों का कुल उपयोग 82.353 मिलियन कुवैती दीनार है। ये ऋण निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए हैंः

	(मिलियन कुवैती दीनार)
(क) कालीनदी पन-बिजली परियोजना चरण-I	15.000
(ख) कोपिली पन-बिजली परियोजना	9.400
(ग) अनपारा तापीय बिजली परियोजना चरण-I	16.000
(घ) अनपारा तापीय विद्युत परियोजना (कोयला परिवहन) चरण-II	9.000
(ड.) थाल उर्वरक परियोजना	14.300
(च) दक्षिण बेसिन परियोजना	14.600
(छ) कालीनदी जल विद्युत परियोजना चरण-II	7.000
(ज) झींगा उत्पादन हेतु केरल मछली पालन विकास परियोजना	7.000
जोड़	**92.300**

2. अब तक (क), (ग) (घ) और (ड.) पर उल्लिखित ऋणों का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है। कोपिली जल विद्युत परियोजना के लिए मात्र 8.938 मिलियन कुवैती दीनार मात्र और दक्षिण बेसिन परियोजना के लिए केवल 11.615 मिलियन कुवैती दीनार की ऋण राशि निकाली गई थी और ऋण खातों को तब से बन्द कर दिया गया है। झींगा पालन के लिए केरल मत्स्यपालन विकास परियोजना, ऋण खातों को 1998 में बन्द कर दिया गया है। इस परियोजना के अधीन उपयोग केवल 0.538 मिलियन कुवैती दीनार है।

3. ऊपर उल्लिखित आठ ऋणों में से क्रम संख्या (क) से (च) तक के ऋणों पर ब्याज की दर 3.5 प्रतिशत और सेवा प्रभार 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगेगा। (छ) और (ज) के ऋणों पर 4.5 प्रतिशत की दर से ब्याज और सेवा प्रभार 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगेगा। पहले पांच ऋणों की वापसी-अदायगी की अवधि प्रारंभिक 5 वर्षों की छूट अवधि सहित 25 वर्ष है। दक्षिण बेसिन परियोजना के ऋण की वापसी-अदायगी अवधि 20 वर्षों की है जिसमें 4 वर्षों की छूट अवधि शामिल है। (छ) और (ज) के ऋणों की वापसी-अदायगी अवधि 20 वर्षों की है जिसमें 5 वर्षों की छूट अवधि शामिल है। इस समय कुवैत निधि की सहायता से कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

X. नीदरलैंड

नीदरलैंड भारत को वर्ष 1962-63 से ही सामान्य प्रयोजन ऋण, ऋण सुविधा सहायता, आपूर्तिकर्ता ऋण (वित्तीय निर्यात ऋण) तथा अनुदानों के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। यह अनुदान मूल रूप से स्थानीय लागत व्यय तथा तकनीकी सहायता के लिए प्रदान किया जाता हैं।

2. क्षेत्र, जिनमें नीदरलैंड की सहायता प्राप्त की जाती है वे पर्यावरण, पेय जलापूर्ति, सिंचाई और जल परिवहन, शिक्षा और कृषि क्षेत्र हैं।

3. पहले नीदरलैंड सरकार ने वार्षिक नकदी उच्चतम सीमा के तहत सहायता प्रदान किया करती थी और वर्ष 1991 तक, 200 मिलियन एन एल जी धनराशि की वचनबद्धता हुई है जो ऋणों और अनुदानों में लगभग 50:50 के आधार पर वितरित की गई है। ऋण की वापसी 8 वर्षों की रियायती अवधि सहित 30 वर्षों में की जानी थी और जो 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर की गई। वर्ष 1992 से अब तक, सहायता पूरी तरह से अनुदानों के रूप में है तथा पूर्ववर्ती ऋण वचनबद्धता के एवज में शेष अनुदान निधियों से संवितरित की जानी है।

4. वर्ष 2000-01 के दौरान किया गया संवितरण 40.221 मिलियन एन एल जी (75.44 करोड़ रुपए के बराबर) था। नीदरलैण्ड सरकार ने 1996 के पश्चात वृहत आर्थिक सहायता का विस्तार बन्द कर दिया है। तथापि, दिसम्बर, 2001 के दौरान नीदरलैण्ड सरकार ने वर्ष 2001 में देय मूलधन और ब्याज की किश्तों के एक भाग के रूप में भेजने के लिए अनुदान के रूप में 70 मिलियन एन एल जी (लगभग 140 करोड़ रुपए) की राशि संवितरित की है। वर्ष 2001-02 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान संवितरण 68.120 एन एल जी (लगभग 126.40 करोड़ रुपए) रहा है।

5. नीदरलैण्ड सरकार ने, गुजरात के भूकम्प पीड़ित जिलों के प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 94.426 मिलियन एन एल जी (173.69 करोड़ रुपए के बराबर) की राशि प्रदान की है। नीदरलैण्ड सरकार ने गुजरात में भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यक्रम को "गांवो में जलापूर्ति निर्माण कार्यों" के लिए 120 से 150 करोड़ रुपए की रेंज में अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

6. नीदरलैंड सरकार ने प्रत्येक परियोजना के कुल लागत के 40 प्रतिशत तक नीदरलैंड से चुनिन्दा पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने हेतु लागत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार को ओ आर ई टी अनुदान भी उपलब्ध कराए हैं।

7. नीदरलैंड सरकार की नीति में हाल के परिवर्तनों के कारण डच सहायता अब से आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और केरल राज्यों में केन्द्रित होगी। इसके अतिरिक्त, परियोजना दृष्टिकोण के स्थान पर विकास सहयोग की क्षेत्रवार नीति अपनाई जाएगी। क्षेत्रों का चुनाव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाएगा।

XI. नार्वे

नार्वेजियाई विकास सहायता कार्यक्रम वर्ष 1952 में शुरू हुआ। नार्वेजियाई सरकार द्वारा विस्तारित सहायता नार्वेजियाई विकास सहयोग एजेंसी (नोराड) के माध्यम से है और नार्वेजियाई सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त की जाती है जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा तकनीकी सहायता के लिए उपलब्ध है।

2. **सहयोग के क्षेत्रः** इससे पहले नार्वेजियाई सहायता सामाजिक क्षेत्रों पर संकेन्द्रित थी। वर्ष 1990 में नार्वेजियाई सरकार ने भारत को दी जा रही सहायता को धीरे-धीरे कम करने और अपना ध्यान औद्योगिक क्षेत्र पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया। वे लगातार महिला एवं पर्यावरण विकास से संबंधित कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते रहे।

3. **विकास सहायोग की नीतिः** यद्यपि भारत के लिए नार्वेजियाई सहायता की रकम कम रही है फिर भी मुख्य सामाजिक क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, बाल एवं महिला विकास, पर्यावरण आदि की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं, महिला विकास कार्यक्रम, उड़ीसा पर्यावरण कार्यक्रम, भारत-नार्वेजियाई पर्यावरण कार्यक्रम जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बहुत उपयोगी रही है। भारत-नार्वेजियाई संस्थागत सहयोग कार्यक्रम दोनों देशों की विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता देने में बहुत सफल रहा है।

दोनों देशों के बीच इस बात पर व्यापक सहमति रही है कि भारत नार्वेजियाई विकास सहायता की मात्रा कम होने के कारण केवल विशिष्ट विषयों क्षेत्रों पर ही ध्यान केन्द्रित करना उचित नहीं है। संस्थागत सहायोग के उन क्षेत्रों पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा जो क्षमता निर्माण और आपसी सहयोग तथा तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान के माध्यम से सामुदायिक आस्तियों का सृजन करने में बहुत उपयोगी रहे हैं।

4. **नार्वेजियाई सहायता का संवितरणः** नार्वे द्वारा 1996 के बाद से भारत विकास मंच (आई डी एफ) में किसी राशि का वचन नहीं दिया गया। 4.50 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में, नार्वेजियाई सहायता का कुल संवितरण 2000-01 के दौरान भारत सरकार के बजट के माध्यम से नार्वेजियाई सहायता का कुल संवितरण 5.32 करोड़ रुपए था और चालू वर्ष में 31.12.2001 तक 3.26 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

XII. अरब आर्थिक विकास के लिए अबूधाबी निधि

गढ़वाल, ऋषिकेश चिल्ला पन-बिजली परियोजना, उ.प्र. के लिए अबूधाबी निधि से 68 मिलियन दीनार (15 मिलियन अमरीकी डालर) का ऋण प्रदान किया गया है। ऋण की सम्पूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया था। इस ऋण पर 3.5 प्रतिशत की ब्याज दर और 0.5 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगेगा। इसकी वापसी-अदायगी अवधि 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 15 वर्ष थी।

XIII. अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए तेल-निर्यातक देशों के संगठन की निधि (ओपेक)

अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए ओपेक निधि की स्थापना तेल निर्यातक देशों के संगठन के सदस्य देशों द्वारा विकासशील देशों को उनके आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी कार्यो में आर्थिक सहायता प्रदान करके ओपेक सदस्य देशों और अन्य विकासशील देशों के बीच वित्तीय सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी।

2. ओपेक निधि ने अब तक कुल मिलाकर 218.800 मिलियन अमरीकी डालर के चौदह ऋण दिए हैं। 31 मार्च 2001 तक ऋणों का कुल उपयोग 197.997 मिलियन है। ये ऋण निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए हैं :

	(मिलियन अमरीकी डालर)
(1) भुगतान शेष सहायता	21.800
(2) मुम्बई हाई अपतट विकास परियोजना	14.000
(3) कोरबा ताप विद्युत परियोजना	20.000
(4) रामागुन्डम ताप विद्युत परियोजना, चरण--II	20.000
(5) दूसरी मुम्बई हाई अपतट परियोजना	30.000
(6) दूसरी रामागुन्डम ताप विद्युत परियोजना	30.000
(7) रेलवे आधुनिकीकरण परियोजना	22.500
(8) उर्वरक परियोजनाओं का पुनर्वास	7.000
(9) नाबार्ड को ऋण श्रृंखला	8.000
(10) रीवा अस्पताल परियोजना, म. प्र.	10.000
(11) बस्ती जिला अस्पताल परियोजना, उ.प्र.	6.500
(12) रायचूर जिला अस्पताल परियोजना, कर्नाटक	9.000
(13) केरल वर्षासिंचित फसल विकास परियोजना, केरल	10.000
(14) शिमला मलजल सफाई परियोजना, हि.प्र.	10.000
जोड़	**218.800**

3. क्रम सं. (1) से (5), (7) और (9) के सामने दर्शाए गए ऋणों का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है। क्रम सं. (6) के सामने दर्शाई गई परियोजना रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना चरण-II और क्रम सं. (8) के सामने दर्शाई गई उर्वरक परियोजना का पुनर्वास के संबंध में दिए गए ऋणों की क्रमशः 29.067 मिलियन अमरीकी डालर और 5.351 मिलियन अमरीकी डालर तक की राशि का उपयोग कर लिया गया है। परियोजनाओं के ऋण खाते बंद कर दिए गए हैं। क्रम सं. (10) से (13) के सामने दर्शाई गई परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और उनके ऋण खातों को अभी बंद किया जाना है। क्रम सं. (14) के सामने परियोजना अभी कार्यान्वित की जा रही है।

4. क्रम सं. (2) से (6) के सामने दिए गए ऋणों पर कोई ब्याज नहीं है लेकिन 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष सेवा प्रभार लगता है। और उनकी वापसी अदायगी 5 वर्षों की छूट की प्रारम्भिक अवधि सहित 20 वर्षों की अवधि में की जाएगी। क्रम सं. (7) के सामने रेलवे आधुनिकीकरण परियोजना के लिए ऋण की वापसी अदायगी 3 प्रतिशत की दर पर ब्याज और 1 प्रतिशत सेवा प्रभार के साथ 4 वर्षों की छूट की अवधि सहित 14 वर्षों में की जाएगी। क्रम सं. (8) से (11) और (14) के सामने दर्शाए गए ऋण 2 प्रतिशत की दर पर ब्याज और 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष सेवा प्रभार के साथ 5 वर्षों की छूट की अवधि सहित 17 वर्षों के लिए हैं। क्रम सं.12 और 13 के सामने दर्शाए गए ऋण 2.25 प्रतिशत की दर पर ब्याज और 1 प्रतिशत सेवा प्रभार के साथ 5 वर्षों की छूट की अवधि सहित 17 वर्षों के लिए हैं।

XIV. सऊदी विकास निधि

विकासशील देशों में विकासोन्मुख परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सऊदी विकास निधि की स्थापना की गई थी जो स्वायत्तता प्राप्त कानूनी संस्था है; जिसने अब तक 769.200 मिलियन सऊदी रियाल की कुल राशि के चार ऋण दिए हैं। 31 मार्च, 2001 तक ऋणों का कुल उपयोग 630.915 सऊदी रियाल है। ये ऋण निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए हैं:-

	(सऊदी रियाल मिलियन में)
(क) श्रीसेलम नागार्जुनसागर विद्युत परियोजना	353.000
(ख) कोरापुट-रायगढ़ रेलवे परियोजना	103.200
(ग) रामागुण्डम तापीय विद्युत परियोजना	172.000
(घ) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास परियोजना (न्हावा शेवा पत्तन परियोजना)	141.000
जोड़	**769.200**

2. श्रीसेलम नागार्जुनसागर विद्युत परियोजना के लिए 350.442 मिलियन सऊदी रियाल, रामगुंडम ताप बिजली परियोजना चरण II के लिए 93.786 मिलियन सऊदी रियाल और जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास परियोजना के लिए 108.570 मिलियन सऊदी रियाल का ऋण प्राप्त किया गया था और उसके बाद ऋण खाते बन्द कर दिए गए हैं। ऊपर (ख) पर दी गई परियोजना पर काम चल रहा है।

3. पहले और चौथे उल्लिखित ऋण पर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज होगा, दूसरे और तीसरे ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज होगा । इन सभी ऋणों का आरम्भिक 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्षो में भुगतान किया जाना है।

XV. स्वीडिश सहायता

भारत वर्ष 1964 से स्वीडिश सहायता प्राप्त करता रहा है हालांकि स्वीडन भारत सहायता संघ का पूर्ण रूप में सदस्य वर्ष 1969 में ही बना। स्वीडिश सहायता की शर्ते कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर उदार हुई हैं। वर्ष 1976 के बाद स्वीडिश सहायता 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में है और मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र तथा ऊर्जा क्षेत्र पर केन्द्रित हैं। अनुदान सहायता के अलावा, स्वीडिश सरकार ने बड़ी विद्युत परियोजनाओं को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया है। स्वीडिश सहायता बजट में कटौती के बावजूद भारत 1997 से स्वीडिश सहायता प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बना रहा।

2. भारत-स्वीडिश विकास सहोयग के लिए भावी नीतिः-

स्वीडिश सहायता के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

i) प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन परियोजनाएं एवं कार्यक्रम;

ii) प्राकृतिक संसाधन प्रबंध सहित पर्यावरण और आधुनिक/औद्योगिक/शहरी क्षेत्र;

iii) ऊर्जा की बचत तथा ऊर्जा संसाधनों के और अधिक सक्षम प्रयोग के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र;

iv) भारत और स्वीडन के बीच अनुभवों और सुविज्ञता के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने वाले कार्यकलाप।

3. **विकास सहयोग की भावी नीतिः** सिडा ने सूचित किया है कि स्वीडन सरकार ने भारत के साथ स्वीडन के विकास सहयोग के लिए नई मार्गदर्शिकाएं प्राप्त करने का निर्णय किया है। प्रतिवर्ष 75-100 मिलि. एस ई के की कुल सहायता की संकल्पना की गई है। वर्ष 2002 के दौरान एक नई कार्य-नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा और यह जनवरी, 2003 से प्रभावी हो जाएगी।

4. **स्वीडिश सहायता का संवितरणः** सिडा द्वारा अधिकतर सहायता प्राप्त जारी परियोजनाओं को तकनीकी सहायता शामिल है जिस के लिए निधियां दाता द्वारा सलाहकार आदि को प्रत्यक्ष रुप से संवितरित की गई है। 2000-01 के दौरान और जारी वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के बजट में कोई संवितरण नहीं किया गया है।

XVI. स्विटजरलैण्ड

स्विटजरलैण्ड सरकार भारत को 1964 से सहायता प्रदान करती रही है। वर्तमान में, स्विस सहायता स्थानीय लागत/तकनीकी सहायता के लिए उपलब्ध है। यह सहायता अनुदानों के जरिए वित्तपोषित की जाती है जो स्विस विकास निगम अभिकरण (एस डी सी) के माध्यम से सरणीकृत की जाती है।

2. भारत में स्विस सहायता की क्षेत्रवार प्राथमिकता उन्नत भूमि प्रयोग, दुग्धपालन और पशुपालन, ग्रामीण कुटीर उद्योग, मानव संसाधन विकास, पर्यावरण और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं।

XVII. यूनाइटेड किंगडम

भारत ब्रिटिश विकास सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। द्विपक्षीय सहायता 1975 से अब तक पूर्ण रूप से अनुदानों के रूप में आती है। यू.के. की सहायता एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग है जो विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय (एफ.सी.ओ.) का एक भाग है और जिसकी अध्यक्षता विदेश विभाग के मंत्री द्वारा की जाती है।

2. यू. के. से सहायता विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् शिक्षा, स्लम सुधार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कोयला, ऊर्जा क्षमता (विद्युत) और वानिकी, में पारस्परिक सहमत परियोजनाओं के लिए होती है। सहायता निम्नलिखित रूपों में आती हैः–

(क) **सहबद्ध अनुदान सहायताः**– यह विशेष परियोजनाओं के लिए ब्रिटिश मूल की वस्तुओं और सेवाओं के लिए है,

(ख) **स्थानीय लागत अनुदानः**– जो कि इस समय मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण सुधार संबंधी कार्यक्रमों के लिए दी जाती है।

(ग) **तकनीकी सहायता अनुदानः**– जिसके माध्यम से परियोजना संबंधी और सामान्य परामर्शी सेवाओं, प्रशिक्षण और आयातों का वित्तपोषण किया जाता है।

3. यू.के. हमारा सबसे बड़ा अनुदान दाता है और इस सहायता का बड़ा हिस्सा सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में स्थानीय लागत संबंधी व्यय के लिए जाता है।

4. 2001-2002 के दौरान जनवरी, 2002 तक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 209.432 मिलियन पौंड मूल्य के अनुदान करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(i)	उड़ीसा में चक्रवात/क्षतिग्रस्त एल आई पी का पुनर्वास	5.350 मिलि.पौंड
(ii)	आंध्र प्रदेश में अभिशासन सुधार कार्यक्रम	5.872 मिलि.पौंड
(iii)	उड़ीसा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	41.210 मिलि.पौंड
(iv)	कोलकाता पर्यावरणीय सुधार परियोजना अनुदान, 2001	28.300 मिलि.पौंड
(v)	पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम अनुदान, 2002	98.000 मिलि.पौंड
(vi)	उड़ीसा में चक्रवात-पश्च प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण परियोजना	30.700 मिलि.पौंड

XVIII. संयुक्त राज्य अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका 1951 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। संयुक्त राज्य द्वारा यू एस ए आई डी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान के रुप में है। 31 मार्च, 2001 के अंत तक संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रदान की गई सहायता की कुल राशि 11215.212 मिलियन अमरीकी डालर है।

2. उपर्युक्त कुल सहायता में अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2001 के लिए प्राधिकृत 15.861 मिलियन अमरीकी डालर की यू.एस., ए.आई.डी. की विकास सहायता भी शामिल है, जो 30 सितम्बर 2001 को समाप्त हो गई थी तथा उसमें निम्नलिखित 5 (पांच) संशोधनात्मक करार शामिल है अर्थात्:-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुदान राशि मिलियन अमरीकी डालर	संशोधित करार की तारीख
1.	ए.वी.ई.आर.टी.	0.767	28-8-2001
2.	एफ.आई.आर.ई.	3.811	24-9-2001
3.	एफ.आई.आर.ई.	4.983	24-9-2001
4.	जी.ई.ई.पी	3.800	26-9-2001
5.	ई सी ओ	2.500	10-8-2001
	जोड़	**15.861**	

पी.एल.480 शीर्षक II कार्यक्रम के अधीन, 79 मिलियन अमरीकी डॉलर की वस्तु सहायता (मालभाड़े सहित) अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2001 (अक्तूबर 2000-सितम्बर 2001) के दौरान यूएसएआईडी द्वारा संवितरित की गई है।

XIX. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक

आईबीआरडी अपना अधिकांश धन अपने सदस्यों से शेयर पूंजी अभिदानों की गारंटी के आधार पर विश्व वित्तीय बाजारों में जारी बांडों और अन्य ऋण प्रतिभूतियों से जुटाता है। बैंक निधि के अन्य स्रोत शेयरधारकों की पूंजी और धारित अर्जन हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के ऋण रियायती न होते हुए भी वाणिज्यिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक उदार शर्तों पर उपलब्ध हैं। इस समय वापसी-अदायगी की अवधि 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्ष है। नई परियोजनाओं के लिए ब्याज की वर्तमान दर परिवर्तनीय एकल मुद्रा ऋणों पर 2.40 प्रतिशत हैं। अंसंवितरित बकाया पर वचनबद्धता शुल्क इस समय 0.75 प्रतिशत है। 0.50 प्रतिशत का बिना शर्त वचनबद्धता शुल्क अधित्याग वार्षिक आधार पर सभी ऋणकर्ताओं को उपलब्ध है। ऋण राशि के 1 प्रतिशत का एक अप फ्रंट शुल्क भी देय है। इस समय समय पर भुगतान करने पर ऋणकर्ताओं को 0.25 प्रतिशत के ब्याज अधिभार का प्रस्ताव किया गया है।

2. दिनांक 31.10.2001 तक ऋणों के जरिए आई बी आर डी दिया गया संचयी उधार 28,797 मिलियन अमरी की डालर हैं। वचनबद्धताएं विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजमार्ग, आर्थिक पुनर्संगठन, विद्युत, कृषि, परिवहन, शहरी विकास, सिंचाई, जल आपूर्ति, रेलवे में परियोजनाओं के संबंध में है।

3. वर्ष 2001 के दौरान (31.12.2001 तक) 1654 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि वाली निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए करारों पर हस्ताक्षर किए गए।**

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	हस्ताक्षर की तारीख
1.	ग्रेंड ट्रंक रोड सुधार परियोजना	589	27.07.2001
2.	कर्नाटक आर्थिक पुर्नसंरचना कार्यक्रम परियोजना	75	26.07.2001
3.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	360	26.07.2001
4.	पावर ग्रिड व्यवस्था विकास परियोजना II	450	30.06.2001
5.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्सरचना परियोजना	180	27.2.2001
	जोड़	**1654**	

*** उपर्युक्त के अतिरिक्त 400 मिलि. अमरीकी डालर वाली गुजरात भुकम्प पुनर्संरचना परियोजना चरण-I (आई डी ए 303 मिलियन अमरीकी डालर और आई बी आर डी 97 मिलियन अमरीकी डालर) के लिए 30.3.2001 को परियोजना करार पर हस्ताक्षर किए गए और निधियां जारी परियोजनाओं से अपवर्तित की गईं।*

XX. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

बैंक का सुलभ ऋण सहयोगी, आई डी ए अपने वित्तीय संसाधनों और पूर्व ऋणों से वापसी अदायगियों के लिए मुख्य रूप से अधिक धनी देशों द्वारा समय-समय पर किए गए अंशदानों पर निर्भर करता है।

2. आई डी ए बचनबद्धताएं, जिन्हें "ऋणों" के रूप में जाना जाता है, में 10 वर्ष की छूट की अवधि होती है और इसकी वापसी-अदायगी 35 वर्ष में की जानी होती है। भारत को 30.6.1987 तक अनुमोदित ऋणों की 50 वर्ष में वापसी-अदायगी की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि शामिल है और 1.07.1987 से अनुमोदित ऋणों की वापसी-अदायगी 35 वर्ष में की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है। आई डी ए ऋणों में कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता है परन्तु ऋण के संवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है। असंवितरित शेषों पर वचनबद्धता प्रभार 0.50 प्रतिशत के न्यूनतम तक प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। तथापि 1989-90 से वचनबद्धता प्रभार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं।

3. भारत को आई डी ए सहायता जून, 1961 में शुरू हुई और यह वैदेशिक सहायता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। 30.6.2001 तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, जल आपूर्ति और सफाई, गरीबी उन्मूलन, कृषि, ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा, जल संभर विकास, वानिकी, पर्यावरण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए आई डी ए द्वारा भारत को दिया गया संचयी ऋण 27.548 बिलियन अमरीकी डालर है।

4. वर्ष 2001 (31 दिसम्बर, 2001 तक) के दौरान आई डी ए ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 431 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के ऋण प्रदान किए है। उपर्युक्त के अतिरिक्त 400 मिलियन अमरीकी डालर के लिए गुजरात भूकंप पुनर्संरचना परियोजना चरण-I (आईडीए 303 मिलियन अमरीकी डालर और आई बी आर डी 97 मिलियन अमरीकी डालर) के लिए 30.3.2001 को परियोजना करार पर हस्ताक्षर किए गए और निधियां जारी परियोजनाओं से अपवर्तित की गई।

XXI. एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

एशियाई विकास बैंक एक प्रमुख क्षेत्रीय संस्था है और भारत को इसमें प्रमुख भूमिका निभाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजनार्थ, भारत का एशियाई विकास बैंक के पूंजी भंडार में, सभी सदस्य देशों में से जापान, संयुक्त राज्य अमरीका और चीन जनवादी गणराज्य के बाद चौथा सर्वाधिक अभिदान रहा है।

2. वर्ष 1966 में इस की स्थापना होने से लेकर, भारत ने स्वेच्छापूर्वक, एशियाई विकास बैंक से ऋण नहीं लिया था। तथापि उन स्रोतों में, जिनसे हम विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं, विविधता लाने के बारे में विचार किया गया और भारत ने एशियाई विकास बैंक से वर्ष 1986 से ऋण लेना प्रारम्भ किया। 31.12.2001 तक एशियाई विकास बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के ऋणों के लिए अनुमोदित ऋणों का कुल मूल्य 10.54 बिलियन अमरीकी डालर था। एशियाई विकास बैंक द्वारा जिन क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान किए गए, वे मुख्य रूप से विद्युत, पेट्रोलियम, पत्तन, रेलवे, सड़कें, दूर संचार, सामाजिक (शहरी विकास) क्षेत्र हैं। वर्ष 2001 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए ए डी बी द्वारा 1500 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया गया है।

I.	गुजरात भूकंप पुर्नवास और पुनर्संरचना परियोजना	500 मिलियन अमरीकी डालर
II.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (परियोजना ऋण)	200 मिलियन अमरीकी डालर
III.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (कार्यक्रम ऋण)	150 मिलियन अमरीकी डालर
IV.	पश्चिम परिवहन कोरीडोर परियोजना	240 मिलियन अमरीकी डालर
V.	पश्चिम बंगाल कोरीडोर विकास परियोजना	210 मिलियन अमरीकी डालर
VI.	राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निजी क्षेत्र बुनियादी ढांचा सुविधा (पी एस आई एफ-II) - आई डी बी आई	100 मिलियन अमरीकी डालर
VII.	राष्ट्रीय और निजी स्तर पर निजी क्षेत्र बुनियादी ढांचा सुविधा (पी एस आई एफ-) आई एल एंड एफ एस	100 मिलियन अमरीकी डालर

XXII. रुसी परिसंघ

चालू वर्ष के दौरान रुसी परिसंघ की सरकार और भारत सरकार के बीच किसी नए विकासात्मक करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। तथापि, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए क्रमशः 64.35 करोड़ रुपए और 187.30 करोड़ रुपए की सहायता का उपयोग किए जाने का अनुमान है।

XXIII. यूरोपीय समुदाय (ईसी)

यूरोपीय समुदाय 1976 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। भारत को ई सी की सहायता पूर्णतः अनुदान के रूप में है और इसका प्रयोग रुपए तथा अभिज्ञात परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा लागत को वित्तपोषित करने के लिए किया जा सकता है। विकास सहयोग के क्षेत्र में, 1976 से ईसी के वित्तीय और तकनीकी सहायता का संचयी योग लगभग 2 बिलियन यूरो है।

2. ई.सी. सहायता वाटर शेड प्रबन्धन, सिंचाई, वानिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चालू परियोजनाओं के लिए दी जा रही है। प्राथमिकता में परियोजना सहायता से सेक्टरवार निधिपोषण के रुप में बदलाव आया है। दो चालू क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं, एक शिक्षा के क्षेत्र में (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) जिसमें कुल अंशदान 150 मिलियन यूरो (लगभग 675 करोड़ रुपए) है और दूसरी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसमें कुल अंशदान 200 मिलियन यूरो, (लगभग 900 करोड़ रु.) है। यूरोपीय समुदाय ने गुजरात में भूकंप से प्रभावित स्वास्थ्य बुनियादी सेवाओं के लिए 40 मिलियन यूरो (लगभग 180 करोड़ रु.) की राशि उपलब्ध कराई है।

3. ई सी ने 22.10.2001 को हस्ताक्षरित एक करार के जरिए शिक्षा क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान शीर्षक से एक नए क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 200 मिलियन यूरो (लगभग 900 करोड़ रुपए) की वचनबद्धता की।

4. दिनांक 17.11.2000 को ब्रुसेल्स में आयोजित भारत-ई सी उप-आयोग बैठक के दौरान इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि प्राथमिक शिक्षा आधारभूत स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

5. वर्ष 2001-02 (20.11.2001 तक) के दौरान चालू विकास सहयोग परियोजनाओं के लिए ई सी सहायता का संवितरण 39.911 मिलियन यूरो (लगभग 165.565 करोड़ रुपए) है।

XXIV. जनसंख्या कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि (यू.एन.एफ.पी.ए.)

वर्ष 2001-2002 के दौरान 17.85 करोड़ रुपए की वस्तु/नकद अनुदान सहायता प्राप्त होने की आशा है। 2002-2003 के दौरान 0.10 करोड़ रुपए की इसी प्रकार की सहायता की आशा है।

XXV. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को जो तकनीकी सहायता मिलती है, वह उपस्करों, विशेषज्ञों की सेवाओं, तथा विदेशों में भारतीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के रूप में मिलती है।

2. वर्ष 2001-2002 के दौरान लगभग 70.92 करोड़ रुपए नकदी अनुदान सहायता प्राप्त होने की आशा है। इसी प्रकार वर्ष 2002-2003 के दौरान लगभग 64.12 करोड़ रुपए मूल्य की सहायता प्राप्त होने की आशा है।

XXVI. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ)

अन्तर्राष्ट्रीय बाल विकास संगठन (आई.सी.डी.एस.) के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, डाक्टरों के प्रशिक्षण और महिलाओं तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के लिए नकद अनुदान सहायता प्राप्त की जाती है। नकद सहायता की कुल राशि का अनुमान 2001-2002 के लिए लगभग 1.55 करोड़ रुपए है।

XXVII. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ)

वर्ष 2001-2002 के दौरान 15.80 करोड़ रुपए तक की वस्तु सहायता प्राप्त होना अनुमानित है। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वर्ष 2002-2003 के दौरान 15.80 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की आशा है।

विवरण 1
विदेशी ऋण

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था का नाम	प्राप्तियां			वापसी अदायगियां		
	बजट अनुमान 2001-2002	संशोधित अनुमान 2001-2002	बजट अनुमान 2002-2003	बजट अनुमान 2001-2002	संशोधित अनुमान 2001-2002	बजट अनुमान 2002-2003
बहुपक्षीय						
आई. बी. आर. डी.	2699.00	2702.85	2369.26	2938.00	2696.74	2956.83
आई. डी. ए.	4933.90	5175.72	4525.95	2025.23	2023.54	2218.99
आई. एफ. ए. डी.	63.58	120.21	69.02	27.30	27.27	28.32
ए. डी. बी.	752.90	655.28	1626.88	630.23	582.93	717.10
ई. ई. सी, (एस. ए. सी)	...	...	...	4.84	4.97	5.19
ओ. पी. ई. सी.	17.52	41.11	9.58	26.49	22.10	19.61
कुल (बहुपक्षीय)	**8466.90**	**8695.17**	**8600.69**	**5652.09**	**5357.55**	**5946.04**
द्विपक्षीय						
आस्ट्रेलिया	...	...	...	7.66	7.66	7.90
आस्ट्रिया	...	...	...	9.37	10.36	10.57
बेल्जियम	...	...	...	20.88	22.86	22.05
कनाडा	...	...	...	60.67	59.91	61.10
चेक और स्लोवाकिया	...	...	...	4.28	4.28	4.36
डेनमार्क	...	...	...	25.21	26.47	27.96
जर्मनी	40.90	41.06	173.60	475.12	497.50	493.82
फ्रान्स	36.71	26.37	13.65	198.46	235.89	733.18
इटली	...	...	...	84.85	86.41	87.36
जापान	2900.00	2460.55	2339.00	1726.70	1612.47	1800.64
कुवैत निधि	...	...	...	55.29	55.44	48.79
नीदरलैंड	...	...	...	184.75	194.68	201.45
सउदी निधि	10.50	10.00	19.58	7.23	7.16	7.47
स्वीडन	...	...	...	156.08	162.58	173.18
स्विटजरलैंड	...	...	...	18.90	20.14	16.76
स्पेन	...	...	...	18.96	19.02	19.55
संयुक्त राज्य अमरीका	...	...	...	649.26	651.63	659.76
रूसी संघ	8.59	64.35	187.30	242.49	211.36	241.51
कुल (द्विपक्षीय)	**2996.20**	**2602.33**	**2733.13**	**3946.16**	**3885.82**	**4617.41**
कुल जोड़	***11463.10***	***11297.50***	***11333.82***	***9598.25***	***9243.37***	***10563.45***

विवरण 2

विदेशी मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से अनुदान तथा वस्तु सहायता

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था का नाम	बजट अनुमान 2001-2002	संशोधित अनुमान 2001-2002	बजट अनुमान 2002-2003
बहुपक्षीय			
आई. एफ. ए. डी.	...	7.60	39.02
आई. डी एफ अनुदान	10.00	2.74	...
स्विटजरलैंड अनुदान (आई डी ए)	...	1.70	...
आई वी आर डी जापानी अनुदान (डब्लयू बी)	2.15	1.65	...
आई डी ए जापानी अनुदान (डब्लयू बी)	...	...	...
आई डी ए अमरीकी डालर	...	11.86	...
द्विपक्षीय			
कनाडा	6.00	...	...
डेनमार्क	37.18	53.02	61.33
फ्रांस	1.33	1.02	0.55
जर्मनी	114.51	115.42	216.43
जापान	40.15	34.92	35.01
नीदरलैंड	75.88	144.72	103.37
नार्वे	9.00	13.85	9.02
स्विटजरलैंड	...	2.64	...
यूनाइटेड किंग्डम	151.78	98.23	50.72
संयुक्त राज्य अमरीका	90.14	64.72	10.26
ई. ई. सी.	124.99	165.56	253.36
अन्तर्राष्ट्रीय निकाय			
यू. एन. एफ. पी. ए.	0.30	17.85	0.10
यू. एन. डी. पी.	17.62	70.92	64.12
यूनीसेफ	1.05	1.55	...
विश्व स्वास्थ्य संगठन	15.70	15.80	15.80
यूनेस्को	0.04	...	...
फोर्ड फाउंडेशन	...	0.23	...
कुल जोड़	***697.82***	***826.00***	***859.09***